अमृत वाणी

**जैसे छोटा सा तिनका हवा का रुख बताता है वैसे ही मामूली घटनाएँ मनुष्य के हृदय की वृत्ति को बताती हैं।**

**-महात्मा गांधी,**

## दहशत के मध्य राहत

विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे-वैसे बस्तर में एक ओर जहां दहशत का माहौल व्याप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे आशाजनक हालात भी बन रहे हैं जो सुकून और राहत देने वाले हैं।

नक्सलियों ने शुरू से चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है और अपने इस आह्वान को सार्थक बनाने वे तरह तरह के तरीके अख्तियार कर रहे हैं जिसके अंतर्गत धमकियां, हमले, तोड़फोड़ सब कुछ शामिल हैं ताकि लोगों में दहशत फैले और वे चुनाव से स्वतः दूर रहें। इस दहशत को विशेष तौर पर अंदरूनी क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है क्योंकि राजनैतिक नेता और कार्यकर्ता वहां प्रचार के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रत्याशियों और उनके दल नेताओं का प्रचार शहरों और कस्बाई क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गया है।

यह स्थिति खासतौर पर सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग के लिए निश्चित ही किसी गंभीर चुनौति से कम नहीं है, लेकिन पिछले एक दो दिनों में संभाग में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिनसे दहशत के मध्य भी कुछ राहत के संकेत अवश्य मिलते हैं।

नक्सली बार-बार चारों ओर पर्चे फेंककर अपने बहिष्कार के आह्वान का स्मरण तो दिला ही रहे हैं लेकिन 6 और 8 नवम्बर को उन्होंने पर जिस तरह दो यात्री बसो को आग के हवाले किया उससे लोगों में दहशत का और गहरा प्रभाव पड़ना लाजमी है।

दूसरी ओर 6 नवंबर को ही संभाग के नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ समझे जाने वाले अबुझमाड़ के 62 नक्सलियों ने 51 हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जो वर्तमान माहौल में बस्तर पुलिस के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है।

केवल यही नहीं, ऐसी भी खबरे सुनने में आ रही है कि चुनाव बहिष्कार को लेकर स्थानीय और आंध्रप्रदेश के नक्सली लीडरों में विवाद उत्पन्न हो गया है। दरअसल बताया जाता है कि पिछले दिनों नक्सलियों की गोली से एक मीडिया कर्मी की मौत को लेकर नक्सली स्वयं काफी बौखलाए हुए है। स्थानीय नक्सली कुछ कारणों की वजह से बस्तर में चुनाव बहिष्कार के पक्ष में भी नहीं है।

स्वभाविक तौर पर यह सबकुछ बस्तर पुलिस के लिए काफी आशाजनक स्थिति है।

इधर विधानसभा चुनाव में शतप्रतिशत मतदान के लिए चुनाव आयोग अपनी ओर से यथासंभव कोशिश कर रहा है। अब यह मतदान के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये सारी सकारात्मक पहल नक्सलियों द्वारा निर्मित नकारात्मक माहौल पर अंततः कितनी विजय हासिल करने में सफल हो पाती है।

## राज काज

### ऐसे हो जाएंगे जज नियुक्त

एक बार फिर देश में जजों की कमी और नियुक्ति की धीमी रफ्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यदि राज्य और हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो यह काम भी हम ही पूरा करेंगे। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और हाईकोर्ट्स से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांग ली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कार्यप्रणाली से सभी वाकिफ हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार कुछ जरुर होकर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। वैसे भी अदालतों में बढ़ते मामले और जजों की कमी के कारण न्याय की आस लगाए लोगों के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए यह अदालत के इस कदम का स्वागत करने वालों की कमी नहीं है।

### वोट कौन देगा

जम्मू.कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारुख अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव जीतने में भगवान मदद नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव में वोट जनता को ही देना है। गौरतलब है कि मंदिर निर्माण को लेकर संघ की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। यहां भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी मंदिर मामले को लेकर कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि कोर्ट के पास तो राम मंदिर के लिए फुर्सत ही नहीं है। इसलिए अब फारुख अब्दुल्ला ने व्यंग्यवाण दागे हैं, जिस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरु हो गई हैं। यहां तो आस्था का सवाल खड़ा किया जा रहा है, फिर भले ही वो राजनीति प्रेरित ही क्यों न हो। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि फारुख अब्दुल्ला की बात भाजपा के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका ध्येय तो कुछ और ही है।

# आपातकाल बनाम आफत काल

**कांग्रेस विरोध की राजनीति करने वाले नेता 25 जून 1975 की तिथि को आज तक भुला नहीं पा रहे हैं। जून 1975 से मार्च 1977 के मध्य घोषित किया गया आपातकाल का दौर आज भी न केवल याद किया जाता है बल्कि इसे देश की राजनीति में एक काले अध्याय के रूप में चिन्हित किया जाता है। अनेक गैर कांग्रेसी राज्यों में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं को पेंशन से नवाज़ा गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य कई सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। उस दौरान जेल जाने वाले लोग स्वयं को बड़े गर्व से मीसा बंदी कहते हैं। उस दौर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कथित तानाशाही के दौर के रूप में तथा प्रेस अथवा मीडिया का गला घोंटने के काल के रूप में भी याद किया जाता है।**

देश में आपातकाल लगाए जाने का परिणाम इंदिरा गांधी को किस रूप में भुगतना पड़ा था यह भी देश भलीभांति जानता है। उसी दौर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे। उसी समय कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन भी हुआ था। और 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को लंबे समय के बाद सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा था।

आज देश में निश्चित रूप से घोषित आपातकाल जैसी कोई स्थिति नहीं है। परंतु आज के सत्ताधीशों की बातें उनके बयान व वक्तव्य उनकी तर्ज.ए.सियासत आदि देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही वर्तमान दौर घोषित आपातकाल का दौर न हो परंतु निः संदेह राजनीति का वर्तमान काल किसी आफ्तकाल से कम नहीं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर पार्टी के विधायक स्तर के नेताओं तक के मुंह से कभी.कभी ऐसी बातें सुनाई दे जाती हैं जो सीधे तौर पर भारतीय संविधान भारतीय न्याय व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था तथा मीडिया को चुनौती देने वाली प्रतीत होती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केरल में एक जनसभा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को नसीहत देने के अंदाज़ में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता। उनका यह निर्देशनुमा लहजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के संदर्भ में था जिसमें माननीय न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में दस वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। परंतु न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के विरुद्ध प्रदर्शन जारी रखा। स्वयं अमितशाह ने आंदोलनकारियों से अदालती फैस्ले के विरुद्ध आंदोलन जारी रखने को कहा और आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया कि पार्टी इस आंदोलन में उनके साथ है।

अब यहां प्रश्न यही उठता है कि अदालतों को अपने निर्णय आ?खिर किस आधार पर देने चाहिएघ् क्या अदालतें सुबूतए दस्तावेज़ए न्याय तथा मानवाधिकार आदि के मद्देनज़र अपने फैसले सुनाएं या फिर प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने तथा इससे जुड़ी जनभावनाओं का आदर करते हुए अदालतें अपने फैसले सुनाया करेंघ् आज महिलाओं की आबादी विश्व की आधी आबादी के रूप में पहचानी जाती है। किसी भी देवी.देवता की पूजा व दर्शन करना पुरुषों की ही तरह महिलाओं का भी अधिकार है। किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी धर्मस्थान की पवित्रता व उसकी मर्यादा को बनाए रखने की चिंता मर्दों से अधिक औरतों को होती है। वे स्वयं किसी भी अपवित्रता की स्थिति में किसी भी धर्मस्थान पर जाना गवारा नहीं करतीं। ऐसे में किसी भी मंदिर.मस्जिदए दरगाह या गुरुद्वारे के धर्माधिकारियों को केवल लिंग के आधार पर किसी को प्रवेश की अनुमति देने या न देने का आखिर क्या औचित्य हैघ् जब मुंबई में हाजी अली की दरगाह में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देकर अदालत के फैसले को लागू कराया जा सकता हैए जब महाराष्ट्र में ही शनि शिंगणापुर में महिलाओं द्वारा चलाए गए लंबे आंदोलन के बाद अदालत उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे सकती है फिर आखिर सबरीमाला मंदिर से संबंधित निर्णय को लेकर राजनीति करने का क्या कारणघ्

अमित शाह के सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए निर्देश अथवा सुझाव को पार्टी अध्यक्ष के दंभपूर्ण रवैये के रूप में भी देखा जा रहा है तथा कुछ लोग इसे सुप्रीम कोर्ट को अमित शाह द्वारा दी गई चेतावनी भी मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या न्यायालय अमित शाह के इस बयान पर कोई संज्ञान लेगाघ् क्या शाह द्वारा दिया गया इस प्रकार का निर्देश लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं हैघ् वर्तमान दौर में अदालतों की दयनीय स्थिति का अंदाज़ा तो उसी समय हो गया था जबकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इसी वर्ष 12 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ जजों ने लोकतंत्र पर मंडराते हुए भयंकर खतरे के मद्देनज़र पत्रकार सम्मेलन बुलाया था और देश के समक्ष असहाय होकर अपनी व अदालत की स्थिति स्पष्ट की थी। अदालतों के अतिरिक्त देश के दूसरे अति प्रमुख संस्थानों जैसे सीबीआईए भारतीय रिज़र्व बैंकए सीवीसी और ईडी आदि किस दौर से गुज़र रहे हैं यह भी किसी से छुपा नहीं है। देश में मीडिया की स्थिति की तुलना यदि आपातकाल के दौर से की जाए तो उस समय का मीडिया यदि सेंसरशिप का शिकार था तो आज का मीडिया बिकाऊ मीडियाए दलाल मीडिया या गोदी मीडिया जैसे विशेषणों का पात्र बन गया है। आखिर क्योंघ् गत् चार वर्षों में अनेक लेखक व पत्रकार मारे जा चुके हैं। कई पर आपराधिक मुकद्दमे दर्ज हो चुके हैं। कईयों को धमकियां मिल रही हैं तो अधिकांश को खरीदा जा चुका है। कई निष्पक्ष पत्रकार अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। कम से कम आपातकाल के दौरान देश को ऐसी स्थिति का सामना तो हरगिज़ नहीं करना पड़ रहा था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र सरकार के मध्य ताज़ा गतिरोध राफेल विमान सौदे को लेकर भी सामने आ रहा है। अब तक राफेल फाईटर जेट विमानों की कीमत छुपाती आ रही केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय ने दस दिन के भीतर बंद लिफाफे में विमानों की कीमत बताए जाने का निर्देश दिया है। जबकि केंद्र सरकार अभी भी इसे अत्यंत गोपनीयता का विषय बता रही है और अदालत को राफेल विमान की कीमत बताए जाने से आनाकानी कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल से संबंधित याचिका दायर करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा व अरूण शौरी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सरकार से राफेल डील में भारतीय ऑफ्सेट पार्टनर चुने जाने संबंधी जानकारी भी सांझा करने को कहा है। कितनी बड़ी त्रासदी है कि याचिका कर्ताओं ने जब इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग की तो माननीय मुख्य न्यायधीश को यह कहना पड़ा कि श्अभी इसके लिए वक्त लग सकता है पहले उन्हें ;सीबीआई द्धको अपना घर ;विभागद्ध तो संभाल लेने दीजिएश्। ज़ाहिर है माननीय मुख्य न्यायधीश को यह टिप्पणी सीबाआई की उसी दुर्दशा पर करनी पड़ी है जिसके तहत सीबीआई कार्यालय में पिछले दिनों रात दो बजे हाई प्रोफाईल ड्रामा देखने को मिला था जिसमें निदेशकों की उठापटक व केंद्र सरकार की खासतौर पर प्रधानमंत्री की सीधी दखलअंदाज़ी पूरे देश ने देखी।

ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार इस समय अपने ही बनाए गए चक्रव्यूह में स्वयं बुरी तरह उलझती जा रही है। और अपने बचाव में मनमानी करते हुए कई ऐसे फैसले ले रही है जो आपातकाल से भी ज़्यादा खतरनाक व लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अतरू यदि वर्तमान काल को आपातकाल के बजाए लोकतंत्र के लिए श्आफ्तकालश् कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा।

**- तनवीर जाफ़री**

( ये लेखक के अपने विचार है )

# अध्यादेश लाना है तो सर्वधर्म केंद्र के लिए लाएं

अयोध्या में राम मंदिर का मसला 2019 के चुनाव के पहले हल होता हुआ मुझे नहीं लगता और यदि चुनाव के पहले यह हल नहीं होगा तो यह भाजपा के लिए गंभीर चुनौती सिद्ध हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया है। अब से तीन महिने वह लगाएगाए उस बेंच को नियुक्त करने मेंए जो यह तय करेगी कि 2010 में दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला ठीक है या नहीं। उसके फैसले में जजों ने राम जन्मभूमि की 2ण्77 एकड़ जमीन को तीन दावेदारों में बांट दिया था। एक रामलालाए दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फबोर्ड।

जनवरी 2019 में राम.मंदिर विवाद का फैसला नहीं होगा। इस मुकदमे को सुननेवाली सिर्फ बेंच बनेगी। वह बेंच क्या इस विवाद को रोजाना सुनवाई के आधार पर तय करेगी घ् मुख्य न्यायाधीश ने पिछली बहस के वक्त यह स्पष्ट कर दिया था कि मंदिर.मस्जिद का मामला इतना संगीन नहीं है कि इस पर तुरंत विचार किया जाए। पिछले आठ साल से यह मामला सबसे ऊंची अदालत में जरुर अटका हुआ है लेकिन जरा यह तो सोचिए कि 2019 के चुनाव के पहले वह इसका फैसला कैसे सुना सकती है घ् इस विवाद से संबंधित सदियों पुराने दस्तावेज कई हजार पृष्ठों में फैले हुए हैं और वे संस्कृतए प्राकृतए अरबीए फारसी और हिंदी में हैं। हमारे जजों को अंग्रेजी में काम करने की आदत है। वे इन दस्तावेजों से कैसे पार पाएंगे घ् जब तक इन दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नहीं होगाए जजों को इंतजार करना पड़ेगा।

इसके अलावा मुख्य प्रश्न यह है कि अदालत किस मुद्दे पर फैसला देगी घ् उसके सामने मुद्दा यह नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बने या मस्जिद बने बल्कि यह है कि उस 2ण्77 एकड़ जमीन पर किसकी मिल्कियत है घ् इलाहाबाद न्यायालय ने दो.तिहाई जमीन तो हिंदू संस्थाओं को दे दी है और एक तिहाई मुस्लिम संस्था को। मान लें कि वह सारी जमीन दोनों में से किसी एक को दे दे तो क्या दूसरे लोग उस फैसले को मान लेंगे घ् यदि 2ण्77 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फबोर्ड को मिल गई तो क्या हिंदू संगठन अदालत का आदर करेंगे घ् अदालत के लिए यह मामला विश्वास और श्रद्धा का नहींए कब्जे और कानून का है। मान लें कि सर्वोच्च न्यायालय उसी फैसले पर मोहर लगा दे जो उच्च न्यायालय ने दिया है तो क्या होगा घ् तो क्या निर्मोही अखाड़ा उस दो.तिहाई जमीन परए जो दो एकड़ से भी कम है, मंदिर बनाना पसंद करेगा घ् और क्या वह यह भी पसंद करेगा कि मंदिर की दीवार से सटकर वहां एक बाबरी मस्जिद दुबारा खड़ी हो जाए घ् क्या उस राम जन्मभूमि में मंदिर और मस्जिद साथ.साथ रह पाएंगेए खास तौर से बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने की घटना के बाद ६

दूसरे शब्दों में इस मंदिर.मस्जिद के विवाद को हल करने के लिए अदालत की शरण में जाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अदालतों के सैकड़ों फैसले आज भी ऐसे हैंए जिन्हें कभी लागू ही नहीं किया जा सका। सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश का जो फैसला किया हैए उसकी कितनी दुर्गति हो रही है घ् केरल की मार्क्सवादी सरकार और हमारी केंद्र की सरकार क्या कर पा रही है घ् मंदिर.मस्जिद विवाद को अदालत की खूंटी पर टांगकर हमारे नेतागण खर्राटे खींच रहे हैं। यह स्थिति हमारी राजनीतिक दरिद्रता की परिचायक है। पिछले चार साल देखते.देखते निकल गए। अब चुनाव के बादल जबकि सिर पर मंडरा रहे हैंए भगवान राम याद आ रहे हैं। सारे मसले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कुछ संगठन कह रहे हैं कि वे 6 दिसंबर से ही मंदिर का निर्माण.कार्य शुरु कर देंगे और कुछ नेता अब मंदिरोंए शिवालयों और आश्रमों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि राम मंदिर का मामला तूल पकड़नेवाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अध्यादेश लाने की मांग की है।

यदि मंदिर.मस्जिद का मामला मजहबी रंग पकड़ता है तो यह भारत का दुर्भाग्य होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का मोर्चा दुबारा खोल दिया है। मुझे आश्चर्य है कि ये पिछले चार साल मौन.व्रत क्यों धारण किए रहे घ् मेरे लिए अयोध्या में राम मंदिर मजहबी मसला है ही नहीं। उसे हिंदू.मुसलमान का मसला बनाना बिल्कुल गलत है। यह मसला हैए देसी और विदेशी का ! यह बात मैं अपने बड़े भाई तुल्य अशोक सिंघलजीए जो कि विश्व हिन्दू परिषद के बरसोंकृबरस अध्यक्ष रहेए से भी हमेशा कहता रहता था। विदेशी आक्रांता जब भी किसी देश पर हमला करता है तो उसके लोगों का मनोबल गिराने के लिए वह कम से कम तीन काम जरुर करता है। एक तो उसके श्रद्धा.केंद्र और पूजा.स्थलों को नष्ट करता है। दूसराए उसकी स्त्रियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है और तीसराए उसकी संपत्तियों को लूटता है। जहां तक बाबर का सवाल हैए उसने और उसके.जैसे हमलावरों ने सिर्फ भारत में ही नहींए उज़्बेकिस्तान और अफ्गानिस्तान में भी कई श्रद्धा.केंद्र को नष्ट किया। वे मंदिर नहीं थे। वे मस्जिदें थीं। वे दुश्मनों की मस्जिदेंए उनकी औरतें और उनकी संपत्तियां थीं। यह जानना हो तो आप पठानों के महान कवि खुशहालखान खट्टक की शायरी पढ़िए। सहारनपुर के प्रसिद्ध उर्दू शायर हज़रत अब्दुल कुद्दुस गंगोही का कलाम देखिए। उन्होंने लिखा है कि मुगल हमलावरों ने जितने मंदिर गिराएए उनसे ज्यादा मस्जिदें गिराई। औरंगजेब ने बीजापुर की बड़ी मस्जिद गिराई थीए क्योंकि उसे बीजापुर के मुस्लिम शासक को धराशयी करना था। इसीलिए मैं कहता हूं कि अयोध्या के राम मंदिर को मीर बाक़ी ने गिराया हो या किसी और नेए यह सवाल मज़हबी नहींए राष्ट्रीय है।

अब मेरी राय यह है कि देश के मुसलमानों को पहल करनी चाहिए और राम जन्मभूमि की जगह विश्व का भव्यतम मंदिर ही बनने देना चाहिए और उस 70 एकड़ जमीन में एक शानदार मस्जिद के साथ.साथ दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के पूजा.स्थल भी बन सकेंए ऐसा एक अध्यादेश सरकार को तुरंत लाना चाहिए ताकि अयोध्या सर्वधर्म समभाव का विश्व.केंद्र बन सके। अध्यादेश लाने के पहले देश के सभी प्रमुख नेताओं को संबंधित पक्षकारों से मिलकर सर्वसम्मति का निर्माण करना चाहिए ताकि उस अध्यादेश को कानून बनाने में कोई अड़चन आड़े नहीं आए। इसी आशय का अध्यादेश 1993 में प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने जारी करवाया था और 1994 में संसद ने उसे कानून का रुप दिया था। इसी कानून को थोड़ा बेहतर और सर्वसमावेशी बनाकर यदि सर्वसम्मति से लागू किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का भी कष्ट दूर होगा और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की नई लहर चल पड़ेगी।

**डॉ. वेदप्रताप वैदिक**

( ये लेखक के अपने विचार है )

# कानून से परे जातीय पंचायतों के फरमान!

हमारे यहाँ जातीय पंचायतें और खाप आदि अब भी बेहद मजबूत हैं। उनके फरमान अक्सर देश के कानूनों के दायरे से बाहर होते हैं। हाल ही राजस्थान के जोधपुर में एक 22 वर्षीय सीण्एण्युवती ने थाने पहुँचकर आत्महत्या कर ली। पता चला कि जातीय पंचायत ने उस पर 17 लाख का जुर्माना ठोका था और उस पर यह रकम देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। कारण यह सामने आया कि जब वह महज तीन साल की थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी और बड़ी होने पर वह यह शादी नहीं करना चाहती थी।

याद किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले झारखण्ड में भी एक पंचायत एक अन्य मामले में ऐसा ही गुल खिला चुकी है। झारखण्ड राज्य के चाईबासा की आदिवासी महापंचायत ने नाबालिग से रेप के आरोपी और इस कुकृत्य से गर्भवती हुई नाबालिग पीड़िता को जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया था।

चाईबासा की मंझारी थाना क्षेत्र में एक 13 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती हो गई तो गांववालों ने महापंचायत बुलाई। पंचायत ने रेप करने वाले आरोपी और पीड़िता पर पांच लाख का जुर्माना लगाकर उन्हें जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया। इस दौरान ष्हो आदिवासी समाज युवा महासभाष् के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई।

करीब दो साल से आरोपी रोबिन पीड़िता के घर में रह रहा था। इसी बीच रोबिन ने डरा.धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ रेप कियाए जिससे वह गर्भवती हो गई। मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थीए लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ। बाद में वह महापंचायत में आया जहां उसे फरमान सुनाया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया।

फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर ;जुर्माना वसूल करद्धजिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है।

इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कम्प मचा है। एसपी ने एसडीपीओ को जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि यह बहुत गंभीर मामला है। लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**अजित वर्मा**

( ये लेखक के अपने विचार है )